सिंचाई जल उपयोगकर्ता संघ (आईडब्ल्यूयूए) की नियमावली

हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन (एचपी-शिवा)

को प्रस्तुत

अधीक्षक अभियंता-सह-उप निदेशक,
एचपी-शिवा परियोजना, जल शक्ति विभाग,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

सिंचाई जल उपयोगकर्ता संघ (आईडब्ल्यूयूए) की नियमावली

हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन (एचपी-शिवा)

को प्रस्तुत

अधीक्षक अभियंता-सह-उप निदेशक,
एचपी-शिवा परियोजना, जल शक्ति विभाग,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

निर्मित (द्वारा)

AMS
Research | Consulting | Training
Academy of Management Studies,
3rd Floor, Block A-153, Sector-8, Dwarka, New Delhi–110 075
Tel : 011 - 45622401; Fax : 011 - 45622402; E-mail : ams@amsindia.org
(Regd. Office : AMS, 15, Laxmanpuri, Faizabad Road, Lucknow-226 016)
www.amsindia.org

प्रस्तावना

प्राक्कथन

हिमाचल प्रदेश का 'हिमाचल प्रदेश सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन अधिनियम (एचपीआईडब्ल्यूयूए–अधिनियम)' तैयार किया जा रहा है। इस अधिनियम के बन आने पर यह अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी 'जल शक्ति विभाग (जेएसवी)' की है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, यह 'सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन (आईडब्ल्यूयूए) मैनुअल' जेएसवी के अधिकारियों, कार्मिकों, एचपीओ के लाभार्थी, किसानों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है। यह मैनुअल आईडब्ल्यूयूए के गठन के साथ–साथ उनके संचालन और कार्यप्रणाली के लिए एक मानकीकृत प्रक्रियात्मक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। यह आशा की जाती है कि 'हिमाचल प्रदेश सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन (एचपीआईडब्ल्यूयूए) अधिनियम' और 'सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन नियमों' को अंतिम रूप देने के बाद, इस नियमावली में अधिनियम और इसके अधिन नियमावली के अनुपालन में प्रासंगिक परिवर्तन होंगे।

विषय–तालिका

प्रस्तावना **1**

- आईडब्ल्यूयूए मैनुअल (नियमावाली) 1
- मैनुअल (नियमावली) के उद्देश्य 1
- इस मैनुअल (नियमावली) के लक्षित उपयोगकर्ता 2
- नियमावली में संशोधन करने की शक्तियाँ 2

I. सहभागी सिंचाई प्रबंधन **3**

1.1 किसानों की भागीदारी 3

1.2 सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन 3

1.3 कमान स्तरीय सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन 3

1.4 वितरण सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन 4

1.5 परियोजना स्तरीय सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन 4

1.6 शीर्ष स्तरीय समिति 4

1.7 उप–समितियाँ 5

1.8 जल शक्ति विभाग के सक्षम प्रधिकारी 6

1.9 आईडब्ल्यूयूए के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार प्राधिकारी 6

II. आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारियों के कार्य, अधिकार और शक्तियाँ **7**

2.1 आईडब्ल्यूयूए के कार्य 7

2.2 कार्य प्रभाग (टास्क डिविजन) 7

2.3 वितरण स्तरीय आईडब्ल्यूयूए के कार्य 7

2.4 परियोजना स्तरीय समिति के कार्य 7

2.5 आईडब्ल्यूयूए के अधिकार 8

2.6 आईडब्ल्यूयूए की शक्तियाँ 8

2.7 आईडब्ल्यूयूए के लिए प्रतिबंध..... 8

2.8 आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियाँ..... 9

III. पानी के अनधिकृत उपयोग पर जुर्माना..... 11

3.1 पानी का अनधिकृत उपयोग..... 11

3.2 सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित प्रमुख अपराध..... 11

3.3 सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित अपराधों की जाँच..... 11

3.4 सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित अपराध पर जुर्माना..... 12

3.5 विवादों का समाधान (निवारण)..... 12

3.6 अपील के लिए प्रोटोकॉल..... 12

3.7 सक्षम और अपिलीय अधिकारी (जेएसवी)..... 13

3.8 बकाया राजस्व एवं पानी की दर की वसूली..... 13

IV. आईडब्ल्यूयूए के वित्तपोषण का विवरण..... 15

4.1 वित्त का आवंटन..... 15

4.2 वित्त के स्रोत..... 15

4.3 वार्षिक बजट..... 15

4.4 खाते जिनका रखरखाव करना होगा..... 17

4.5 वित्तीय लेखापरीक्षा..... 17

V. कार्यो को पूर्ण करने की प्रक्रिया..... 19

5.1 सहभागी भ्रमण (पार्टिसिपेटरी वॉक–थ्रू)..... 19

5.2 आकलन तैयार करना 19

5.3 आकलनों की तकनीकी स्वीकृति..... 19

5.4 कार्य का निष्पादन..... 19

5.5 कार्य का मापन..... 19

5.6 कार्य का भुगतान..... 20

5.7 कार्य की तकनीकी स्वीकृति..... 20

5.8 कार्य की निगरानी..... 20

VI.	**जल शक्ति विभाग में पीआईएम सेल का गठन**	**21**
6.1	डिवीजन स्तर पर पीआईएम सेल	22
6.2	जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की जिम्मेदारियाँ	23
VII.	**सिंचाई जल उपभोक्ता संगठन का चुनाव**	**25**
7.1	आईडब्ल्यूयूए के चुनाव कराने के लिए सदस्य	25
7.2	कमान आईडब्ल्यूयूए का चुनाव	25
7.3	कमान कार्यसमिति का चुनाव	26
7.4	वितरक आईडब्ल्यूयूए का चुनाव	27
7.5	परियोजना आईडब्ल्यूयूए का चुनाव	28
VIII.	**जल उपभोक्ता संघ का विघटन**	**29**
8.1	विघटन का आधार	29
8.2	सिंचाई प्रणाली प्रबंधन का स्थानांतरण	29
8.3	आईडब्ल्यूयूए की शक्तियों और कार्यों का हस्तांतरण	30
8.4	आईडब्ल्यूयूए की कार्य समिति के सदस्यों का इस्तीफा	30
8.5	अधिनियम का प्रभाव	30

प्रस्तावना

पानी बागवानी और कृषि विकास के लिए एक आवश्यक इनपुट है। हाल ही में, जलवायु परिवर्तन ने प्रभावी जल प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित करते हुए, कृषि के लिए कुशल जल उपयोग की समस्या को बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण हो गया है कि बागवानी–उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक–आर्थिक उत्थान केवल विश्वसनीय आपूर्ति, समान वितरण और सिंचाई जल के कुशल उपयोग से ही संभव है। वर्तमान में सिंचाई जल प्रबंधन ऊपर से नीचे की ओर वाली पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है, हालांकि नीचे से ऊपर की ओर वाली पद्धति अधिक उपयुक्त होती है।

आईडब्ल्यूए को वित्तीय और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, मजबूत, अधिकार और भूमिका–आधारित बनाने के लिए 'हिमाचल प्रदेश सिंचाई जल उपयोगकर्ता संघ अधिनियम (एचपीआईडब्लूयूए)' तैयार किया गया है। एचपीआईडब्लूयूए अधिनियम के लागू होने के बाद यह पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू होगा। यह मैनुअल आईडब्लूयूए के गठन और संचालन के लिए अधिकारियों, जल शक्ति विभाग (जेएसवी), हिमांचल प्रदेश के अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है।

उपलब्ध सिंचाई जल के इष्टतम उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर सिंचाई जल और सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन की दिशा में सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन (आईडब्ल्यूयूए) का गठन पहला कदम है।

आईडब्ल्यूयूए मैनुअल (नियमावली):

'सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन (आईडब्ल्यूयूए)' नियमावली दिशानिर्देशों का एक संरचित समूह है जो सिंचाई जल उपयोगकर्ता संघों (आईडब्ल्यूयूए) की संरचना, कार्यप्रणाली और कार्यक्षेत्र का वर्णन करता है। यह आईडब्ल्यूयूए की विभिन्न समितियों और उप–समितियों की परिभाषाओं, गठन की प्रक्रिया, स्थापना और कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह आईडब्ल्यूयूए की सदस्यता से सम्बन्धित आवश्यकताओं के साथ–साथ आईडब्ल्यूयूए के सदस्यों और इसके पदाधिकारियों की विभिन्न भूमिकाओं, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। मैनुअल को सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) का प्रक्रियाओं के अनुरूप डिजाइन किया गया है ताकि गठन के बाद आईडब्ल्यूयूए की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

मैनुअल (नियमावली) के उद्देश्य

आईडब्ल्यूयूए मैनुअल (नियमावली) का मुख्य उद्देश्य पानी की विश्वसनीय आपूर्ति, पानी के समान वितरण, पानी के कुशल उपयोग और सिंचाई प्रणालियों के इष्टतम रखरखाव के लिए सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन के लिए आईडब्ल्यूयूए के गठन और संचालन आसान करना है। इसका उद्देश्य चिरस्थाई बागवानी के साथ–साथ कृषि विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना है।

मैनुअल (नियमावली) के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

a. आईडब्ल्यूयूए गठन और इसकी कार्यप्रणाली सम्बन्धी परिभाषाओं और प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना

b. आईडब्ल्यूयूए के गठन, संचालन और कामकाज की प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना

c. सुचारू और निर्बाध तरीके से आईडब्ल्यूयूए को सिंचाई और जल प्रबंधन सम्बन्धी शक्तियों का उपयोग करने हेतु हैंडहोल्डिंग समर्थन और हस्तांतरण सुनिश्चित करना

d. आईडब्ल्यूयूए की विभिन्न समितियों और उप–समितियों के कर्तव्यों का निर्धारण करना

इस मैनुअल (नियमावली) के लक्षित उपयोगकर्ता

इस मैनुअल के लक्षित उपयोगकर्ता हैं:

a. जल शक्ति विभाग (जे.एस.वी), हिमांचल प्रदेश के कार्मिकों एवं अधिकारीगण जो जल उपयोगकर्ता संगठनों का गठन करने तथा उन्हें संचालित व लामबन्द करने में शामिल हों।

b. आईडब्ल्यूयूए का गठन और उन्हें संचालित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और लामबंद करने में शामिल प्रशिक्षक

c. लाभार्थी किसान और आईडब्ल्यूयूए के सदस्य और आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति के सदस्य

नियमावली में संशोधन करने की शक्तियाँ

स्थिति की अत्यावश्यकता और ऐसी परिस्थितियों के आधार पर, जो बदलाव की मांग कर सकती हैं, इस नियमावली के प्रावधानों को मुख्य अभियंता स्तर पर पीआईएम सेल द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन से परिवर्तित, संशोधित, रूपान्तरित, या परिसीमन के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, जैसा लागू हो।

I. सहभागी सिंचाई प्रबंधन

सहभगी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) सिंचाई जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव, सिंचाई जल वितरण, राजस्व संग्रह आदि के हर स्तर से संबंधित है। सहभीगी सिंचाई प्रबंधन सिंचाई जल के सभी उपयोगकर्ताओं की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

1.1 किसानों की भागीदारी

सिंचाई जल के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी सिंचाई प्रणाली के कमान क्षेत्र के किसानों द्वारा चुने गए सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन (आईडब्ल्यूयूए) के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

1.2 सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन

आईडब्ल्यूयूए का गठन 'हिमाचल प्रदेश सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन अधिनियम, (एचपीआईडब्ल्यूयूए)' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आईडब्ल्यूयूए का गठन निम्नलिखित चार स्तरों पर किया जाएगा:

1.	शीर्ष स्तरीय सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन समिति	राज्य स्तर पर
2.	परियोजना स्तरीय सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन	परियोजना स्तर पर
3.	वितरण स्तर सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन	जल वितरण स्तर पर
4.	कमान स्तर सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन	कमांड स्तर पर

1.3 कमान स्तरीय सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन

कमान के सभी पात्र किसान कमान की आम सभा के सदस्य होंगे। आम सभा एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से प्रबंध समिति का गठन करेगी जो इस प्रकार है:

(a) कमान क्षेत्र को 6 उप कमान क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, या आवश्यतानुसार एक वितरण टैंक के आधार पर इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक उप कमांड में लाभार्थी किसानों की संख्या बराबर हो।

(b) प्रत्येक भाग के लाभार्थी किसान 4 वर्ष की अवधि के लिए लोकतांत्रिक तरीके से (बैलट पेपर) चुनाव के माध्यम से एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।

(c) उपरोक्त 6 निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर कमांड स्तर की प्रबंध समिति का गठन करेंगे

(d) प्रबंध समिति के सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने बीच से एक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिसकी अध्यक्षता जल शक्ति विभाग (जेएसवी) के संबंधित कनिष्ठ अभियंता करेंगे।

(e) किसी भी जल उपयोगकर्ता क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो 4 हेक्टेयर से कम और 10 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

1.4 वितरण सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन

वितरण आइडब्लूयूए की आम सभा का गठन वितरण स्तरीय आइडब्लूयूय की प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से किया जायेगा जिनका चयन निम्न प्रकार चुनाव द्वारा किया जायेगा।

डिस्ट्रीब्यूटरी स्तर आईडब्ल्यूयूए के आम सभा के सदस्य अपनी पहली बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से दो–तिहाई बहुमत से एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। बैठक की अध्यक्षता संबंधित सहायक अभियंता करेंगे।

1.5 परियोजना स्तरीय सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन

किसी भी परियोजना क्षेत्र में समस्त वितरकों की प्रबंध समिति के सभी सदस्य परियोजना स्तरीय आईडब्ल्यूयूए के आम सभा के सदस्य होंगे।

आईडब्ल्यूयूए की परियोजना–स्तरीय आम सभा एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और सदस्यों को अपनी पहली बैठक में दो–तिहाई बहुमत से लोकतांत्रिक तरीके से आवश्यकतानुसार चुनेगी। जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अभियंता बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

1.6 शीर्ष स्तरीय समिति

जल शक्ति विभाग (जेएसवी) के मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

शीर्ष स्तर पर पीआईएम सेल		
क्र.सं.	**सदस्य**	**पद**
1.	कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव जल शक्ति विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव (कृषि)	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव (उद्यानिकी)	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव (वित्त)	सदस्य

6.	प्रमुख सचिव (विधि)	सदस्य
7.	मुख्य अभियंता (निदेशक पीआईएम)	सदस्य सचिव
8.	अधीक्षण अभियंता (विशेषज्ञ पीआईएम)	सदस्य
9.	कार्यकारी अभियंता (प्रशिक्षण विशेषज्ञ)	सदस्य
10.	अधिशाषी अभियंता (निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञ)	सदस्य
11.	5 सहायक अभियंता	सदस्य

(i) शीर्ष समिति के निम्न कार्य होगें:

- प्रत्येक फसल की कटाई के बाद बैठक का आयोजन
- पीआईएम से संबंधित नीतिगत विषयों पर निर्णय लेना
- समस्याओं और शिकायतों की निगरानी और समाधान करना
- आईडब्ल्यूयूए के निधि प्रवाह की स्थिति की समीक्षा करना
- आईडब्ल्यूयूए के लिए बजट प्रस्ताव को अंतिम रूप देना

1.7 उप–समितियाँ

सिंचाई के पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और आईडब्ल्यूयूए के बेहतर प्रदर्शन के लिए आईडब्ल्यूयूए उप समितियों का गठन आवश्यक है। आईडब्ल्यूयूए द्वारा निम्नलिखित 4 उप–समितियों का गठन किया जाएगा:

क्र.सं.	उपसमिति का नाम	डपसमिति के कार्य
1	निर्माण प्रबंधन उपसमिति	समस्त सिविल कार्यों का निष्पादन और निगरानी
2	सिंचाई प्रबंधन उपसमिति	पानी की मांग, पानी की बजटिंग, सिंचाई हेतु समय–निर्धारण, सिंचाई और तत्सम्बन्धी कार्य
3	वित्तीय प्रबंधन उपसमिति	वित्तीय बजट, राजस्व संग्रह, मासिक व्यय की निगरानी और धन प्राप्त करना, खाते रखना और लेखा परीक्षा करना
4	शिकायत निवारण उपसमिति	शिकायतों तथा उनमें निहित तथ्यों की जाँच, शिकायत प्रबंधन, विवादों का निवारण और शिकायत निवारण तंत्र

प्रत्येक उप–समिति में 3 सदस्य होंगे। आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति का एक सदस्य उप–समिति का अध्यक्ष होगा। इसके अतिरिक्त, संचालन के क्षेत्र से दो कुशल व्यक्तियों, जिनके कौशल का मूल्यांकन प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा, को आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष द्वारा उप–समिति का सदस्य मनोनीत किया

जाएगा। आईडब्ल्यूयूए के के कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु जल शक्ति विभाग, हिमांचल प्रदेश के कार्मिकों और अधिकारियों का सहयोग आवश्यक होगा।

1.8 जल शक्ति विभाग के सक्षम प्रधिकारी

कमांड स्तर, वितरण स्तर और परियोजना स्तर पर आईडब्ल्यूयूए हेतु जल शक्ति विभाग, हिमांचल प्रदेश सरकार के सक्षम अधिकारियों/प्राधिकारियों की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	समिति	सक्षम अधिकारी
1.	कमांड आईडब्ल्यूयूए	कनिष्ठ अभियंता
2.	वितरक आईडब्ल्यूयूए	सहायक अभियंता
3.	प्रोजेक्ट आईडब्ल्यूयूए	अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता

1.9 आईडब्ल्यूयूए के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार प्राधिकारी

आईडब्ल्यूयूए के विभिन्न स्तरों के लिए रजिस्ट्रार प्राधिकारी नीचे तालिका में दिये गये है। यह प्रस्तावित है कि भविष्य में इसके लिए 'एचपी आईडब्ल्यूयूए अधिनियम' और 'एचपी आईडब्ल्यूयूए–नियमावली' में प्रावधान किया जाएगा। अधिनियम के लागू होने तक, आईडब्ल्यूयूए को 'हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006' के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

क्र.सं.	आईडब्ल्यूयूए स्तर	रजिस्ट्रार प्राधिकारी
1.	कमांड स्तर	सहायक यंत्री
2.	वितरण स्तर	अधिशाषी अभियंता
3.	प्रोजेक्ट स्तर	अधीक्षण अभियंता

II. आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारियों के कार्य, अधिकार और शक्तियाँ

2.1 आईडब्ल्यूयूए के कार्य

आईडब्ल्यूयूए पानी का आवंटन करेगा, सिंचाई के पानी के वितरण को विनियमित करेगा, एक रखरखाव योजना तैयार करेगा, पानी की आपूर्ति की निगरानी करेगा, सदस्यता शुल्क तय करेगा, राजस्व संग्रह में सहायता करेगा, वार्षिक बजट तैयार करेगा, हिसाब–किताब रखेगा, उन्नयन और पुनर्वास कार्य की योजना डिजाइन तैयार करेगा और निष्पादन में भाग लेगा तथा विवादों को सुलझायेगा।

2.2 कार्य प्रभाग (टास्क डिविजन)

आईडब्ल्यूयूए का कार्य आम सभा और प्रबंध समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। आम सभा निर्णय लेने वाली संस्था है। यह जल आवंटन योजना, जल बजट और इससे संबंधित सभी कार्य करेगी। प्रबंध समिति बजट का प्रस्ताव करने, जल आवंटन कार्यक्रम को लागू करने और निगरानी और पर्यवेक्षण कार्य करने जैसे दैनिक कार्य करेगी।

2.3 वितरण स्तरीय आईडब्ल्यूयूए के कार्य

वितरण स्तर की आईडब्ल्यूयूए के कार्य निम्नलिखित हैं:

a) सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना

b) जल आवंटन योजना तैयार करना

c) रखरखाव योजना तैयार करना

d) विवादों का निबटारा करना

e) अन्य संबंधित कार्य

2.4 परियोजना स्तरीय समिति के कार्य

परियोजना स्तर की आईडब्ल्यूयूए के कार्य निम्नलिखित हैं:

a) सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना

b) आईडब्ल्यूयूए के साथ समन्वय स्थापित करना

c) विवादों का निबटारा करना

d) अन्य संबंधित कार्य

2.5 आईडब्ल्यूयूए के अधिकार

आईडब्ल्यूयूए के अधिकारों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

a) पानी की उपलब्धता के बारे में सूचना का अधिकार

b) फाटकों के खुलने और बंद होने की सूचना का अधिकार

c) सिंचाई जल के डिस्चार्ज हेतु संयुक्त रूप से मापन का अधिकार

d) सहमति के अनुसार जल आहरण का अधिकार

e) जल पुनर्चक्रण का अधिकार

f) भूजल का भुगतान किये बिना उपयोग करने का अधिकार

g) फसल रोटेशन, फसल विविधीकरण और बागवानी गतिविधियों पर निर्णय लेने का अधिकार

h) सिंचाई प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में भाग लेने का अधिकार

2.6 आईडब्ल्यूयूए की शक्तियाँ

आईडब्ल्यूयूए की शक्तियाँ नीचे उल्लिखित हैं:

a) सदस्यता शुल्क वसूल करना और संग्रहित करना

b) सिंचाई सेवा शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण करना

c) कमांड कमेटी के सदस्यों को वापस बुलाना

d) मरम्मत और निरीक्षण के लिए भूमि में प्रवेश करना

e) देय राशि का भुगतान न करने वाले सदस्यों को बाहर करना

f) प्रशासित करना

g) जांच प्रारंभ करना और विवादों को हल करना

2.7 आईडब्ल्यूयूए के लिए प्रतिबंध

आईडब्ल्यूयूए के लिए निम्नलिखित कार्य प्रतिबंधित हैं:

a) सिंचाई व्यवस्था पर अतिक्रमण करना

b) जल को प्रदूषित करना

c) सिंचाई प्रणाली को नुकसान पहुँचाना, छेड़छाड़ करना या हटाना

d) पानी का व्यर्थ उपयोग करना

e) पानी का अनधिकृत उपयोग करना

f) पानी बेचना

g) पानी के बहाव को रोकना

h) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन

2.8 आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियाँ

2.8.1 आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष की जिम्मेदारियाँ

आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होगीं :

a) आईडब्ल्यूयूए के कार्यों को एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निष्पादित करना

b) लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पाक्षिक रूप से आम सभा और प्रबंध समिति की पाक्षिक या मासिक बैठकों की अध्यक्षता करना

c) आम सभा या प्रबन्ध समिति की बैठकों में किसी बिन्दु पर बराबर–बराबर मत होने की दशा में अपने मतधिकार का प्रयोग करना

d) आईडब्ल्यूयूए के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य मंच या प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेना

e) आईडब्ल्यूयूए की उपसमितियों का गठन करना

f) आईडब्ल्यूयूए द्वारा औचित्य पूर्ण तरीके से कार्य करने हेतु प्रभागीय अधिकारी या अन्य से, जैसा भी मामला हो, आईडब्ल्यूयूए के लिए धन का अनुरोध करना

g) सिंचाई जल के समान वितरण की निगरानी करना

h) जल शक्ति विभाग या उच्च स्तर के आईडब्ल्यूयूए के सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट/लागत अनुमान/आकलन भेजना

i) भूमिहीन कृषकों को उनके संचालन क्षेत्र में प्राथमिकता देना एवं कार्य के आधार पर मानदेय का निर्धारण करना

j) संचालन क्षेत्र में संयुक्त रूप से वाक–थ्रू सर्वेक्षण करना

k) बैठकों में विशेष आमंत्रितों को आमंत्रित करना

l) जल शक्ति विभाग के रजिस्ट्रार और सक्षम अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना

m) निष्पादित कार्यों के वाउचर भुगतान हेतु पास करना

2.8.2 आईडब्ल्यूयूए सचिव की जिम्मेदारियाँ

सिंचाई जल उपयोगकर्ता संघ के सचिव की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

a) आईडब्ल्यूयूए के कार्यों के निर्वहन में आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष की सहायता करना

b) आईडब्ल्यूयूए की आम सभा/प्रबंध समिति की पाक्षिक या मासिक बैठकें आयोजित करना

c) अध्यक्ष की सहमति से बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करना और उनका रखरखाव करना

d) प्रबन्ध समिति द्वारा दिये गये आदेशों तथा समिति द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों को जारी करना

e) आईडब्ल्यूयूए के सभी अभिलेख और रिपोर्टों का रखरखाव

f) आईडब्ल्यूयूए के कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से आईडब्ल्यूयूए के खाते को संचालित करना

g) किसी अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा आईडब्ल्यूयूए के वार्षिक खातों का लेखा–परीक्षा करवाना

h) अध्यक्ष की ओर से जल शक्ति विभाग/उच्च स्तरीय सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन के सक्षम अधिकारी से पत्राचार करना

i) प्रबंध समिति के सभी अनुमोदनों, आदेशों, निर्णयों और सूचनाओं को प्रमाणित करना

2.8.3 आईडब्ल्यूयूए के कोषाध्यक्ष के उत्तरदाइत्व

आईडब्ल्यूयूए के कोषाध्यक्ष की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

a) व्यय से संबंधित सभी प्राप्तियों और इसी प्रकार के अन्य अभिलेखों का रखरखाव

b) चेक बुक, कैश बुक, बिल बुक तथा पंजिकाओं का रखरखाव एवं उन्हे अद्यतन करना

c) किसी अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा आईडब्ल्यूयूए की वार्षिक लेखों का आडिट/लेखा परीक्षा करवाना

d) आईडब्ल्यूयूए का वार्षिक वित्तीय बजट तैयार करना

e) आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष के आदेश पर भुगतान करना

f) विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करना

III. पानी के अनधिकृत उपयोग पर जुर्माना

3.1 पानी का अनधिकृत उपयोग

कमांड या कमांड की प्रबंध समिति के किसानों द्वारा पानी के अनधिकृत उपयोग करने के कारण आईडब्ल्यूयूए पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि जल का अनधिकृत उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है तो निम्न प्रकार के व्यक्ति/व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा:

a) उस पानी से जिस व्यकित की जमीन को फायदा हुआ है

b) ऐसा व्यक्ति जिसकी जमीन को पानी का लाभ नहीं मिला परन्तु उसके द्वारा पानी के बहाव की जानकारी आईडब्ल्यूयूए को नहीं दी गई

c) यदि पाइप द्वारा बहने वाला पानी चोरी हो गया है या जांच करने के उपरान्त भी पानी की चोरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान नही हो पाती है तो इस गतिविधि मे शामिल सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

3.2 सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित प्रमुख अपराध

सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित प्रमुख अपराध निम्नलिखित होगें:

a) किसी सिंचाई प्रणाली या जल निकासी कार्य को नुकसान पहुँचाना, बदलना, बढ़ाना या बाधित करना

b) सिंचाई जल के प्रवाह या जल की आपूर्ति में बाधा डालना

c) समुचित अधिकार के बिना काम के दायरे से बाहर पानी का उपयोग करना

d) पानी की बर्बादी को रोकने में उचित सावधानियों की उपेक्षा करना

e) पानी के गेज को नष्ट करना

f) सिंचाई के रोस्टर के क्रियान्वयन में बाधा डालना

g) एचपी–आईडब्ल्यूयूए एक्ट आदि के प्रावधानों का उल्लंघन।

3.3 सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित अपराधों की जांच

सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित अपराधों के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया नीचे दी गई है:

a) प्रत्येक आईडब्ल्यूयूए अपने निचले स्तर के आईडब्ल्यूयूए के अधिकार क्षेत्र के तहत किए गए

सिंचाई प्रणाली के अपराधों के लिए एक जांच एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

b) जैसे ही आईडब्ल्यूयूए अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में अपराध का संज्ञान लेते हैं, जांच एजेंसी को सूचित किया जाएगा। आईडब्ल्यूयूए जांच प्रक्रिया में सहायता करेगा। यदि अध्यक्ष ऐसा करने में विफल रहता है, उसे अपराध में भागीदार माना जाएगा।

c) राज्य सरकार के वे सभी अधिकारी एवं पुलिस कर्मी जो सिंचाई प्रणाली अपराध के घटित होने की जानकारी रखते हैं, जांच एजेंसी को आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य होंगे।

d) अपराध के संज्ञान में आते ही जांच एजेंसी जांच शुरू कर देगी। जांच एजेंसी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगी।

e) किसी भी सिंचाई प्रणाली के अपराध को किसी भी अदालत द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, सिवाय इस शर्त के कि जांच एजेंसी लिखित शिकायत दर्ज करे।

3.4 सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित अपराध पर जुर्माना

किसी सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित अपराध की दोष सिद्धि हो जाने पर, आईडब्ल्यूयूए अपने निर्णय के अनुसार दंड लगा सकता है।

3.5 विवादों का समाधान (निवारण)

विवादों के निवारण हेतु निम्न समाधान प्रणाली (डीआरएम) विकसित की गई है।

a) आईडब्ल्यूयूए के अर्न्तगत विवादों का समाधान आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। आईडब्ल्यूयूए के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में, उच्च स्तर के आईडब्ल्यूयूए में अपील की जा सकती है।

b) विभिन्न आईडब्ल्यूयूए के मध्य विवादों को वितरिका स्तर (डिस्ट्रिब्यूटरी लेवल) आईडब्ल्यूयूए द्वारा हल किया जाएगा। इस स्तर पर दिये गये निर्णय से असंतुष्टि की दशा में, परियोजना स्तर के आईडब्ल्यूयूए में अपील की जा सकती है।

c) परियोजना स्तर पर आईडब्ल्यूयूए के मध्य विवादों का निवारण परियोजना स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा और इसके द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम (फाइनल) होगा/माना जायेगा। सभी विवादों को शीघ्रतिशीघ्र सुलझा लिया जाएगा।

3.6 अपील के लिए प्रोटोकॉल

a) किसी भी आईडब्ल्यूयूए की कार्यसमिति द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यह अपील निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर निकटतम उच्च–स्तर की

आईडब्ल्यूयूए में दायर की जानी चाहिए। इस प्रकार की गई अपील का निपटारा अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

b) आईडब्ल्यूयूए के अस्तित्व में न होने की स्थिति में जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

3.7 सक्षम और अपिलीय अधिकारी (जेएसवी)

आईडब्ल्यूयूए के लिए अपीलीय प्राधिकारी इस प्रकार होगा:

क्र.सं.	आईडब्ल्यूयूए	सक्षम प्रधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1.	कमांड लेवल	कनिष्ठ अभियंता	अधिशासी अभियंता
2.	वितरण स्तर	सहायक अभियंता	अधिशाषी अभियंता
3.	प्रोजेक्ट स्तर	अधिशासी अभियंता	अधीक्षण अभियंता

3.8 बकाया राजस्व एवं पानी की दर की वसूली

a. पानी की दरें मात्रा के आधार पर होंगी और समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। मात्रा–आधारित जल दर के अभाव में, क्षेत्र–आधारित जल दर प्रबल होगी।

b. आईडब्ल्यूयूए की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रमाणित कोई भी राशि, जो किसी भू–स्वामी/जल उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई है, संबंधित सहायक अभियंता द्वारा वसूल की जाएगी।

IV. आईडब्ल्यूयूए के वित्तपोषण का विवरण

4.1 वित्त का आवंटन

सिंचाई सेवा का टैरिफ जल उपयोगकर्ता संगठन द्वारा एकत्र किया जाएगा। डब्ल्यूयूए द्वारा अपनी कमान से एकत्र किए गए राजस्व का एक हिस्सा अपने लिए रखा जाएगा। शेष राशि को नीचे दिए गए अनुपात में उच्च स्तर की डब्ल्यूयूए को स्थानांतरित किया जाएगा:

क्र.सं.	आईडब्ल्यूयूए स्तर	समिति को आवंटित राशि
1	कमांड स्तर	50 प्रतिशत
2	वितरण स्तर	40 प्रतिशत
3	प्रोजेक्ट स्तर	10 प्रतिशत

4.2 वित्त के स्रोत

आईडब्ल्यूयूए के वित्त के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित होगें:

- डब्ल्यूयूए का सदस्यता शुल्क
- मनरेगा से प्राप्त धनराशि
- टोल टैक्स
- कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण से एकमुश्त वर्किंग ग्रान्ट
- भू–स्वामियों से प्राप्त अंशदान
- बैंक में जमा राशि पर ब्याज
- उधार या ऋण
- दान
- सिंचाई सेवा शुल्क के हिस्से के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान
- राज्य और केंद्र सरकारों या अन्य दाताओं से प्राप्त अनुदान
- सिंचाई प्रणाली और संचालन के क्षेत्र की संपत्तियों और परिसंपत्तियों से आय

4.3 वार्षिक बजट

a. कमांड, डिस्ट्रीब्यूटरी और परियोजना स्तर भी आईडब्ल्यूयूए की कार्य समिति द्वारा अनुमानित आय तथा व्यय का विस्तृत विवरण देते हुए आगामी वित्त वर्ष का वार्षिक बजट तैयार किया जायगा।

b. वार्षिक बजट हर वर्ष 15 जनवरी तक डब्ल्यूयूए की आम सभा की बैठक में पेश किया जाएगा

c. ड्राफ्ट बजट आम सभा की बैठक की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले आईडब्ल्यूयूए के कार्यालय

में रखा जाएगा:

(i) अधुनातन टिप्पणी और इसका अनुपालन

(ii) प्रस्ताव और उनका औचित्य

d. ड्राफ्ट बजट आम सभा की बैठक के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व आईडब्ल्यूयूए के कार्यालय में रखा जाएगा

e. बजट के मसौदे को आम सभा की बैठक में सदस्यों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा

f. जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी इस बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

क्र.सं.	आय के स्रोत		व्यय शीर्षक
(i)	केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1	सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन आदि के आकस्मिक व्यय एवं कार्यालय व्यय का भुगतान।
(ii)	राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	2	सिंचाई प्रणाली के अनुरक्षण कार्य हेतु व्यय
(iii)	अन्य वित्तीय एजेंसियों और विभागों से प्राप्त अनुदान	3	डिस्ट्रीब्यूट्री/कमांड/जल निकायों/मैदानी नालों के लिए टैंकों, चेंबरों की निकासी पर व्यय
(iv)	संपत्ति और परिसंपत्तियों से आय	4	संचालन क्षेत्र कुल्ह, बांध और कुल्ह बेड से झाड़ियाँ, खरपतवार, आदि हटाना
(v)	राज्य सरकार से प्राप्त जल शुल्क की राशि	5	शटर टैंक और चैंबर पेंटिंग और स्मूथिंग
(vi)	विधायक निधि एवं सांसद निधि से प्राप्त आय	6	वाल्व, चैम्बर, थूथन लाइनिंग की मरम्मत, रंगे पलस्तर को बदलना आदि।
(vii)	पंचायत से प्राप्त आय	7	मानव संसाधन का वेतन/मानदेय
(viii)	भू–स्वामियों से प्राप्त अंशदान	8	मानव संसाधन के लिए भत्ता/प्रोत्साहन
(ix)	जमा पर प्राप्त ब्याज	9	डब्ल्यूयूए खाते के लेखा परीक्षा पर व्यय
(x)	जमा पर प्राप्त ब्याज	10	स्टेशनरी मदों और उपभोग्य सामग्रियों पर व्यय
(xi)	ऋण	11	फील्ड गल, चैम्बर्स, वॉल्व्स पर व्यय
(xii)	खाते में हस्तांतरित धन	12	अन्य विविध व्यय
(xiii)	जल उपभोक्ता संघ द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क से प्राप्त आय		
(xiv)	टोल टैक्स से आय		
(xv)	मनरेगा से प्राप्त राशि		
(xvi)	अन्य प्राप्तियाँ		

अनुमोदित बजट की एक प्रति जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

4.4 खाते जिनका रखरखाव करना होगा

जल उपयोक्ता संगठन अपनी निधि किसी अनुसूचित बैंक या डाकघर में जमा करेगा। आईडब्ल्यूयूए एक आरक्षित निधि बनाए रखेगा और इसका उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

4.4.1 खाता

खाते का संचालन आईडब्ल्यूयूए सचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और इसका रखरखाव दोनो के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4.4.2 वित्तीय प्रबंधन

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि उपयुक्त खाते में जमा की जायेगी।

आईडब्ल्यूयूए द्वारा वित्तीय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगाः

- लेखा पंजिका
- कैश बुक रजिस्टर
- चैक जारी करने का रजिस्टर
- सामान्य रजिस्टर
- बिल रजिस्टर
- पासबुक और चेक बुक

4.5 वित्तीय लेखापरीक्षा

आईडब्ल्यूयूए का हर वर्ष ऑडिट किया जाएगा। वित्तीय लेखापरीक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों के किसी पैनल द्वारा की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट जल शक्ति विभाग और उच्च स्तर के आईडब्ल्यूयूए के सक्षम अधिकारी को भेजी जाएगी।

V. कार्यो को पूर्ण करने की प्रक्रिया

सभी कार्यों को पूरा करने के लिए, आईडब्ल्यूयूए द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। इस स्मबन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

5.1 सहभागी भ्रमण (पार्टिसिपेटरी वॉक–थ्रू)

प्रत्येक कृषि और बागवानी मौसम की शुरुआत से पूर्व जलशक्ति विभाग के अध्यक्ष के साथ कमांड/डिस्ट्रीब्यूटरी के अध्यक्ष और कमांड एरिया/डिस्ट्रीब्यूटरी की निर्माण उप–समिति के सदस्यों द्वारा कमांड/डिस्ट्रीब्यूटरी में एक सहभागी वॉक–थ्रू आयोजित किया जाएगा।

5.2 आकलन तैयार करना

निर्माण उपसमिति द्वारा जल शक्ति विभाग के प्रमाणित निर्धारित दरों पर आंकलन तैयार किया जायेगा। निर्माण उपसमिति आकलन तैयार करने में जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी की सहायता ले सकती है।

5.3 आकलनों की तकनीकी स्वीकृति

निर्माण उप–समिति आईडब्ल्यूयूए की कार्यकारी समिति को ड्राफ्ट आकलन प्रारूप प्रस्तुत करेगी। ड्राफ्ट आंकलनों को स्वीकृत करने के उपरान्त इन्हें अनुमोदन के लिए जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

5.4 कार्य का निष्पादन

कार्य का निष्पादन आईडब्ल्यूयूए की निर्माण उप–समिति द्वारा किया जाएगा।

5.5 कार्य का मापन

a) कार्य का मापन निर्माण उपसमिति द्वारा किया जायेगा

b) कार्य की माप संबंधित आईडब्ल्यूयूए की कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसकी स्वीकृति हेतु उसे जलशक्ति विभाग के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

c) जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिनों के अन्दर कार्य के माप का 10 प्रतिशत स्वीकृत किया जायेगा।

5.6 कार्य का भुगतान

पूर्ण किये गये कार्य के लिए भुगतान करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगाः

a) कार्य से संबंधित भुगतान आईडब्ल्यूयूए द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा

b) आईडब्ल्यूयूए द्वारा अंतिम भुगतान करने से पूर्व उसकी स्वीकृति वाटर यूजर्स सगंगठन की आम सभी में ली जायेगी।

c) रू० एक हजार (Rs 1000) से अधिक की धनराशि का कोई भी भुगतान बैंक ट्रांन्सफर के माध्यम द्वारा किया जायेगा।

किसी भी परिस्थिति में 1000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा।

5.7 कार्य की तकनीकी स्वीकृति

a) सिंचाई कार्य एवं संबंधित ढांचों के लिए एक लाख रुपये तक के अनुमानित लागत की तकनीकी स्वीकृति के लिए अवर अभियंता सक्षम प्राधिकारी होंगे

b) 5 लाख रुपये तक के अनुमानित लागत के तकनीकी अनुमोदन के लिए सहायक अभियंता सक्षम प्राधिकारी होंगे

c) 5 लाख से अधिक के अनुमानित लागत के तकनीकी अनुमोदन के लिए कार्यपालक अभियंता सक्षम प्राधिकारी होंगे

5.8 कार्य की निगरानी

कार्य की निगरानी आईडब्ल्यूयूए की उप–समिति और जेएसवी के सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।

VI. जल शक्ति विभाग में पीआईएम सेल का गठन

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) आईडब्ल्यूयूए का केंद्रक होगा। किसी भी आईडब्ल्यूयूए के सुचारू संचालन और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समर्पित पीआईएम सेल का गठन आवश्यक है। जलशक्ति विभाग (जेएसवी), हिमाचल प्रदेश में पीआईएम प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सर्वोच्च स्तर पर पीआईएम सेल		
क्र.सं.	सदस्यगण	पद
1.	कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव (जल शक्ति विभाग)	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव (कृषि)	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव (उद्यानिकी)	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव (वित्त)	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव (विधि)	सदस्य
7.	इंजीनियर इन चीफ (निदेशक पीआईएम)	सदस्य सचिव
8.	अधीक्षण अभियंता (विशेषज्ञ पीआईएम)	सदस्य
9.	अधिशाषी अभियंता (प्रशिक्षण विशेषज्ञ)	सदस्य
10.	अधिशाषी अभियंता(निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञ)	सदस्य
11.	5 सहायक अभियंता	सदस्य

मुख्य अभियंता स्तर पर पीआईएम प्रकोष्ठ		
क्र.सं.	**सदस्यगण**	**पद**
1.	मुख्य अभियन्ता	अध्यक्ष
2.	अधीक्षण अभियंता (वरिष्ठतम)	सदस्य सचिव
3.	दो कार्यकारी अभियंता (वरिष्ठतम)	सदस्य
4.	चार सहायक अभियंता (वरिष्ठतम)	सदस्य
5.	प्रोजेक्ट आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष	सदस्य

सर्किल स्तर पर पीआईएम प्रकोष्ठ		
क्र.सं.	**सदस्यगण**	**पद**
1.	अधीक्षण अभियंता	अध्यक्ष
2.	अधिशाषी अभियंता	सदस्य सचिव
3.	चार सहायक अभियंता	सदस्य
4.	पटवारी	सदस्य
5.	वितरण आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष	सदस्य

डिवीजन स्तर पर पीआईएम सेल		
क्र.सं.	**सदस्य**	**पद**
1.	अधिशाषी अभियंता	अध्यक्ष
2.	सहायक यंत्री	सदस्य सचिव
3.	लेखाकार	सदस्य
4.	पटवारी	सदस्य
5.	कमांड आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष	सदस्य

6.1 डिवीजन स्तर पर पीआईएम सेल

6.1.1 डिवीजन स्तर पर पीआईएम सेल का गठन

डिवीजन स्तर पर पीआईएम प्रकोष्ठ का गठन कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ का गठन निम्नवत होगा:

क्र.सं.	सदस्य	पद
a.	अधिशाषी अभियंता	अध्यक्ष
b.	सहायक यंत्री	सदस्य सचिव
c.	लेखाकार	सदस्य
d.	पटवारी	सदस्य
e.	आईडब्ल्यूयूए के सदस्य	सदस्य

6.1.2 विभिन्न स्तरों पर पीआईएम प्रकोष्ठ के कार्य

डिवीजन स्तर पर पीआईएम सेल के निम्नलिखित कार्य होंगे:

a. आईडब्ल्यूयूए के चुनाव सुगम करना

b. आईडब्ल्यूयूए के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना

c. डिवीजन स्तरीय पी0आई0एम0 प्रकोष्ठ की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करना एवं अधिशाषी अभियंता के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत करना।

d. पानी के समान वितरण, सिंचाई की रिकॉर्डिंग, सिंचाई शुल्क का संग्रह, ऑन–फार्म विकास, वित्तीय प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली के रखरखाव आदि से संबंधित आईडब्ल्यूयूए की स्थिति रिपोर्ट का सुगमीकरण और इसकी समीक्षा करना। यह प्रत्येक फसल चक्र के लिए किया जाएगा और रिपोर्ट वृतखण्ड–स्तरीय पीआईएम सेल को भेजी जाएगी

e. आईडब्ल्यूयूए की गतिविधियों की निगरानी और समर्थन करना

f. आईडब्ल्यूयूए को तकनीकी सहायता प्रदान करना

g. आईडब्ल्यूयूए को वित्तीय प्रबंधन करने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना

h. आईडब्ल्यूयूए हेतु एक निश्चित मात्रा के जल शुल्क की मांग तैयार करना

i. सिंचाई से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने और जल शुल्क एकत्र करने के लिए आईडब्ल्यूयूए को सक्षम बनाना और उन्हे इसके लिए सहायता प्रदान करना

j. जल बजट सिंचाई शेड्यूलिंग की तैयारी और कार्यान्वयन में आईडब्ल्यूयूए की सहायता करना और उन्हें प्रेरित करना
k. सिंचाई प्रणाली के विनिर्माण और रखरखाव के लिए आईडब्ल्यूयूए को प्रेरित करना
l. किए गए कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए आईडब्ल्यूयूए का सुगमीकरण करना, इस हेतु उन्हे प्रेरित करना, उनके द्वारा अनुभव की गई समस्याओं की रिपोर्ट करना और उपचारात्मक उपायों के लिए सुझाव देना
m. कृषि उपज के लिए हितधारकों हेतु आगे और पीछे के लिंकेजेज स्थापित करनें में आईडब्ल्यूयूए को सुविधा और सहायता प्रदान करना
n. अन्य विभागों की योजनाओं के साथ आईडब्ल्यूयूए के लिंकेज को सुविधाजनक बनाने, प्रेरित करने और सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कार्य

6.1.3 वृत (सर्कल) स्तर पर पीआईएम सेल के कार्य

सर्कल स्तर पर पीआईएम प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्य करेगा:

a. आईडब्ल्यूयूए के चुनाव का सुगमीकरण
b. आईडब्ल्यूयूए के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना
c. सर्कल स्तर पर पीआईएम की स्थिति की समीक्षा के लिए सर्कल के अधिशाषी अभियंताओं के साथ मासिक बैठक करना

6.2 जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की जिम्मेदारियाँ

जल शक्ति विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों के कार्य और दायित्व निम्नवत होगें:

6.2.1 अधिशाषी अभियंता के दायित्व

a. यह सुनिश्चित करना कि पीआईएम प्रकोष्ठ डिवीजन स्तर पर क्रियाशील है
b. रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में आईडब्ल्यूयूए के चुनाव कराना
c. आईडब्ल्यूयूए को क्रियाशील एवं प्रभावी बनाने में सहायक अभियंता, अवर अभियंता पटवारी एवं संबंधित अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना
d. आईडब्ल्यूयूए द्वारा तैयार किए गए आकलनों को तकनीकी स्वीकृति देना
e. किसी भी समस्या, यदि कोई हो, को हल करने के लिए वितरक स्तर के आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष के साथ हर दो महीने में कम से कम एक बैठक आयोजित करना
f. क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से हर दो महीने में कम से कम दो डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल आईडब्ल्यूयूए के कार्य की निगरानी करना
g. कमान में रोस्टर के अनुसार सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना
h. वितरक स्तर आईडब्ल्यूयूए के सशक्तिकरण के लिए सहायक अभियंता को सहायता प्रदान करना
i. आईडब्ल्यूयूए को आवश्यक अभिलेख प्रदान करना
j. अन्य विभागीय और सरकारी योजनाओं के बारे में आईडब्ल्यूयूए का सुगमीकरण और उन्हें जागरूक करना तथा उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने में सहायता प्रदान करना।

6.2.2 सहायक अभियंता के दायित्व

a. सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में आईडब्ल्यूयूए के चुनाव कराना

b. क्षेत्र भ्रमण के दौरान कम से कम दो आईडब्ल्यूयूए के कार्य की निगरानी करना
c. आईडब्ल्यूयूए द्वारा तैयार किए गए आकलनों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना
d. कमाण्ड के रोस्टर के अनुसार सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना
e. आईडब्ल्यूयूए की स्थिति रिपोर्ट तैयार कर प्रत्येक छह माह में अधिशाषी अभियंता को प्रस्तुत करना
f. आईडब्ल्यूयूए को टिकाऊ बनाने और सशक्त बनाने में अधिशाषी अभियंता को सहायता प्रदान करना

6.2.3 कनिष्ठ अभियंता के दायित्व

a. डिवीजन स्तर के पीआईएम प्रकोष्ठ के निर्णयों को लागू करने में आईडब्ल्यूयूए का सुगमीकरण और मदद करना
b. तकनीकी अनुमोदन के लिए आंकलन तैयार करने में आईडब्ल्यूयूए का सुगमीकरण और मदद करना
c. सिविल कार्य को निष्पादित करने और मापने के लिए आईडब्ल्यूयूए को सक्षम बनाना
d. आईडब्ल्यूयूए और डिवीजन स्तर की पीआईएम सेल के बीच समन्वय स्थापित करना
e. क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से हर तीन महीने में आईडब्ल्यूयूए और 5 डिस्ट्रीब्यूटरी आईडब्ल्यूयूए के कार्य की निगरानी करना
f. कमान क्षेत्र में जलापूर्ति की निगरानी करना
g. प्रत्येक फसल चक्र के बाद कमांड–स्तरीय आईडब्ल्यूयूए का स्थिति पत्रक तैयार करना और सहायक अभियंता को प्रस्तुत करना
h. आईडब्ल्यूयूए को नियमित रूप से सहायता प्रदान करना
i. समस्याओं और मुद्दों को हल करने के लिए कमांड आईडब्ल्यूयूए की कार्य समिति के साथ हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक बुलाना
j. आईडब्ल्यूयूए को आवश्यक अभिलेख प्रदान करना

6.2.4 पटवारी के दायित्व

a. डिपॉजिट शेड्यूलिंग तैयार करना
b. संभागीय प्रकोष्ठ के आदेशों को प्रभावी करना
c. कमांड आईडब्ल्यूयूए और डिस्ट्रीब्यूटरी आईडब्ल्यूयूए की बैठकों में भाग लेना
d. सिंचाई शेड्यूलिंग की तैयारी में कमांड आईडब्ल्यूयूए की सहायता करना
e. उप राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता को कमान से संबंधित सूचना की सत्यता की जानकारी देना
f. आँकड़ा प्रतिवेदन दर्ज करना तथा इसकी सूचना उप राजस्व अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड स्तरीय अधिकारी एवं जिलादार को देना

6.2.5 सिंचाई पर्यवेक्षक के दायित्व

a. डिपॉजिट शेड्यूलिंग तैयार करना
b. आईडब्ल्यूयूए की सहायता करना
c. पटवारी के काम की निगरानी करना

VII. सिंचाई जल उपभोक्ता संगठन का चुनाव

पीआईएम के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति के लिए, आईडब्ल्यूयूए को लोकतांत्रिक तरीके से गठित किया जाना आवश्यक है और इसके लिए निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता होती है। आईडब्ल्यूयूए के लिए चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विवरण आगे प्रस्तुत है–

7.1 आईडब्ल्यूयूए के चुनाव कराने के लिए सदस्य

आईडब्ल्यूयूए की कार्य समिति का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। आईडब्ल्यूयूए का चुनाव जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित अधिकारियों की देखरेख और मार्गदर्शन में किया जाएगाः

डब्ल्यूयूए चुनावों में अध्यक्षता करने वाले तथा शामिल होने वाले अधिकारी	
जेएसवी में पदनाम	सौंपे गए कार्य
इंजीनियर इन चीफ	मुख्य चुनाव अधिकारी
मुख्य अभियन्ता	चुनाव अधिकारी
अधीक्षण अभियंता	उपचुनाव अधिकारी
सहायक यंत्री	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर

1. कमांड की प्रबंध समिति का चुनाव कमांड स्तर की आईडब्ल्यूयूए की आम सभा द्वारा किया जाएगा
2. डिस्ट्रीब्यूटरी स्तर की आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति का चुनाव डिस्ट्रीब्यूटरी स्तर की आईडब्ल्यूयूए की आम सभा द्वारा किया जाएगा
3. परियोजना स्तरीय आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति का चुनाव परियोजना स्तर की आईडब्ल्यूयूए की आम सभा द्वारा किया जाएगा

7.2 कमान आईडब्ल्यूयूए का चुनाव

कमान क्षेत्र के सभी भू–स्वामी आईडब्ल्यूयूए कमान की आम सभा का गठन करेंगे। कमांड आईडब्ल्यूयूए के अधिकारों और कर्तव्यों को प्रशासित करने के लिए एक कमान कार्यकारी समिति का गठन किया जायेगा। कार्यसमिति का गठन इस प्रकार किया जाएगाः

a. कमान को 6 समान उप–कमानों (भागों) में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक उप–कमान में भू–स्वामियों की संख्या लगभग बराबर हो।
b. प्रत्येक उप–कमान से एक प्रतिनिधि उप–कमांड के मतदाताओं द्वारा बैलेट पेपर के माध्यम से चुना जाएगा

7.2.1 उपकमांड के मतदाता

मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जाएगा:

a. उप–कमान का प्रत्येक पात्र भूस्वामी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तथा मतदाता सूची में शामिल हो, कमान का मतदाता होगा।

b. जिस भू–स्वामी का भूखण्ड एक से अधिक उप–कमानों में हो तथा वह रोस्टर प्रपत्र भर चुका हो, वह उन सभी उप–कमानों में मतदाता होगा तथा उनमें मत देने का अधिकारी होगा।

7.2.2 सब–कमांड की कमान के प्रत्याशी

आईडब्ल्यूयूए के सदस्य हेतु प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:

a. कमान/सब–कमान की मतदाता सूची में जिस भू–स्वामी का नाम शामिल हो, उसे उस कमान/सब–कमान से चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।

b. यदि कोई भू–स्वामी एक से अधिक उप–कमान का मतदाता है तो उस भू–स्वामी को किसी एक सब–कमान से चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।

c. कोई भी मतदाता जो पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी के लिए अपात्र है, उसे कमान की उम्मीदवारी के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

7.3 कमान कार्यसमिति का चुनाव

कमान प्रबंध समिति का गठन प्रत्येक उप–कमांड से चुने गए और आरक्षित वर्ग से सहयोजित सदस्यों से किया जाएगा।

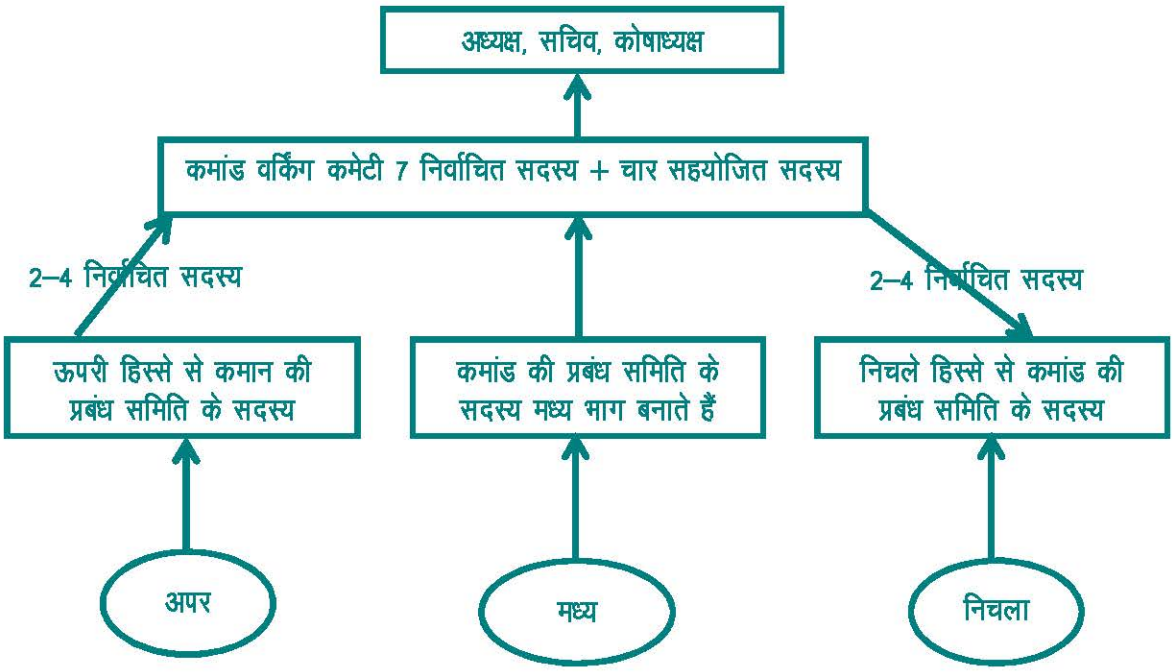

7.3.1 कमांड स्तर आईडब्ल्यूयूए प्रबंध समिति के पदाधिकारी

कमान आईडब्ल्यूयूए के सदस्यों के चुनाव के बाद पदाधिकारियों के चयन के लिए जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कमान के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता सहायक अभियंता करेंगे। बैठक में निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष एवं सचिव का चयन किया जायेगा, जो समिति के पदाधिकारी कहलायेंगे. अध्यक्ष एवं सचिव के चयन में सर्वसम्मति नहीं होने पर अध्यक्ष एवं सचिव का चयन अवर अभियंता द्वारा मतदान के माध्यम से कराया जायेगा।

7.3.2 प्रबंध समिति का कार्यकाल

प्रबंध समिति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा।

a. प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के उपरान्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होने पर कमान से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं महिलाओं को सहयोजित किया जायेगा।

b. सहयोजित सदस्य का संबंधित कमान में भूमि स्वामी होना अनिवार्य है। यदि किसी भूमि स्वामी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तब भी उसका जुड़ाव आवश्यक है।

7.4 वितरक आईडब्ल्यूयूए का चुनाव

डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल (निर्वाचित को–ऑप्टेड) से संबद्ध सभी कमांड आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समितियों के सदस्य डिस्ट्रीब्यूटरी आईडब्ल्यूयूए की जनरल बॉडी का गठन करेंगे। वितरण प्रबंध समिति के लिए आम सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरी वर्किंग कमेटी डिस्ट्रीब्यूटरी आईडब्ल्यूयूए के अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगी।

7.4.1 वितरक आईडब्ल्यूयूए के लिए मतदाता

आईडब्ल्यूयूए कमान की कार्यसमिति के सभी सदस्य (निर्वाचित सहयोजित) मतदाता होंगे।

7.4.2 वितरक आईडब्ल्यूयूए के लिए प्रत्याशी

आईडब्ल्यूयूए कमांड की प्रबंध समितियों के सदस्य चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं।

7.4.3 प्रति मतदाता वोटों की संख्या

किसी कमान के सभी मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का अधिकार होगा। एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा लेकिन यदि उसकी जमीन अलग–अलग कमानों के अधीन है तो वह अलग–अलग प्रतिनिधियों को वोट दे सकता है।

7.4.4 डिस्ट्रीब्यूटरी स्तर की आईडब्ल्यूयूए की वर्किंग कमेटी का चुनाव

निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या और समुदाय के कमजोर वर्गों से आवश्यक सहयोजित सदस्य वितरक स्तर की प्रबंध समिति का गठन करेंगे।

7.4.5 वितरक आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारी

प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपनी पहली बैठक में, एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा, जो वितरक आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारी होंगे। बैठक की अध्यक्षता अधिशाषी अभियंता करेंगे। पदाधिकारियों के चयन में सर्वसम्मति नहीं होने पर सहायक अभियंता की उपस्थिति में मतदान के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन किया जायेगा।

7.4.6 प्रबंध समिति का कार्यकाल

a. वितरक आईडब्ल्यूयूए का कार्यकाल 04 वर्ष होगा।
b. प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल 04 वर्ष का होगा।

7.4.7 पदाधिकारियों का कार्यकाल

पदाधिकारियों का कार्यकाल 2.5 वर्ष होगा। प्रत्येक ढाई वर्ष के बाद जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठक बुलायी जायेगी, जिसमें पूर्व पदाधिकारियों के पद पर बने रहने या उन्हें बदलने की कार्यवाही की जायेगी। प्रबंध समिति के सदस्य उन्हीं पुराने पदों पर बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं या प्रबंध समिति के सदस्यों को पदाधिकारियों के रूप में चुन सकते हैं।

पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त ग्राम पंचायत, अनुसूचित जनजाति, महिला आदि का कोई प्रतिनिधि न होने पर उस श्रेणी का एक सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, समिति द्वारा सहयोजित किया जायेगा।

7.5 परियोजना आईडब्ल्यूयूए का चुनाव

परियोजना से संबद्ध सभी वितरक आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समितियों के सदस्य (निर्वाचित सहयोजित) परियोजना आईडब्ल्यूयूए की सामान्य सभा का गठन करेंगे। आम सभा के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना प्रबंध समिति का गठन करेंगे। परियोजना प्रबंध समिति परियोजना आईडब्ल्यूयूए के अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगी। परियोजना प्रबंध समिति के सदस्य अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता और दो सहायक अभियंता होंगे।

7.5.1 परियोजना स्तरीय आईडब्ल्यूयूए के मतदाता

परियोजना के शीर्ष, मध्य और अंतिम सिरे से संबद्ध वितरिका आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति के सभी सदस्य (निर्वाचित/सहयोजित) परियोजना स्तर के आईडब्ल्यूयूए के मतदाता होंगे।

7.5.2 परियोजना स्तर की आईडब्ल्यूयूए के लिए प्रत्याशी

वितरक स्तर की आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समितियों के सदस्य चुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे।

7.5.3 परियोजना स्तर की आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति का चुनाव

निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या और समुदाय के कमजोर वर्गों से आवश्यक सहयोजित सदस्य परियोजना स्तरीय प्रबंध समिति का गठन करेंगे।

7.5.4 परियोजना स्तर की आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारी

प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने में से एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो परियोजना स्तर के आईडब्ल्यूयूए के पदाधिकारी होंगे। बैठक की अध्यक्षता जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी करेंगे। पदाधिकारियों के चयन में सर्वसम्मति नहीं होने पर अधिशाषी अभियंता द्वारा मतदान के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन किया जायेगा.

7.5.5 प्रबंध समिति का कार्यकाल

a. परियोजना स्तर की आईडब्ल्यूयूए का कार्यकाल 04 वर्ष का होगा।
b. प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा।

VIII. जल उपभोक्ता संघ का विघटन

जल उपभोक्ता किसी भी गबन, धोखाधड़ी, शक्ति के दुरुपयोग या एचपी–आईडब्ल्यूयूए अधिनियम के विपरीत किसी अन्य कार्य के मामले में जल शक्ति विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्तर की आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति को भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे आईडब्ल्यूयूए के कार्यों को करने के लिए जलशक्ति विभाग(जेएसवी) संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रदान करेगा। इसके अलावा, विघटन के मामले में, प्रबंध समिति का गठन विघटन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

8.1 विघटन का आधार

आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति को जेएसवी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर भंग किया जा सकता है:

(i) कार्य मूल्यांकन के आधार पर:

a. जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी सिंचाई प्रबंधन के हस्तान्तरण के बाद आईडब्ल्यूयूए को किसी भी प्रकार की कमियों को दूर करने में सहयोग करेंगे।

b. मूल्यांकन के बाद, यदि जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी वांछित सुधार से संतुष्ट नहीं हैं, तो उच्च स्तरीय आईडब्ल्यूयूए मूल्यांकन करेगा। यदि विघटन का प्रस्ताव उच्च स्तर के आईडब्ल्यूयूए के आमसभा द्वारा बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो आईडब्ल्यूयूए को भंग कर दिया जाएगा।

(ii) कार्य में अनियमितता के आधार पर:

a. किसी भी आईडब्ल्यूयूए के भंग होने या गठित न होने की स्थिति में, उस समिति का कार्य उसके तत्काल उच्च–स्तरीय आईडब्ल्यूयूए द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

b. उच्च स्तरीय आईडब्ल्यूयूए के अभाव में विघटित आईडब्ल्यूयूए का कार्य जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

8.2 सिंचाई प्रणाली प्रबंधन का स्थानांतरण

सिंचाई प्रणाली प्रबंधन एक समझौते के माध्यम से आईडब्ल्यूयूए को हस्तांतरित किया जाएगा।

a. सिंचाई जल प्रबंधन को जल शक्ति विभाग के सक्षम प्राधिकारी और संबंधित आईडब्ल्यूयूए के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा;

b. डिस्ट्रीब्यूटरी आईडब्ल्यूयूए की अनुपस्थिति में, जल शक्ति विभाग एक समझौते द्वारा कमान को कामन स्तर की आईडब्ल्यूयूए को स्थानांतरित करेगा।

8.3 आईडब्ल्यूयूए की शक्तियों और कार्यों का हस्तांतरण

a. जहाँ कमान स्तर आईडब्ल्यूयूए मौजूद नहीं है, वहाँ शक्तियाँ और कार्य वितरण स्तर आईडब्ल्यूयूए में निहित होंगे और जहाँ वितरण स्तर आईडब्ल्यूयूए भी मौजूद नहीं है, वितरण स्तर आईडब्ल्यूयूए की शक्तियाँ और कार्य कनिष्ठ अभियंता में निहित होंगे;

b. जहां परियोजना स्तरीय आईडब्ल्यूयूए मौजूद नहीं है, वहाँ इसकी शक्तियां और कार्य संबंधित कार्यकारी अभियंता में पास निहित होंगे;

c. जहां कमांड स्तर, डिस्ट्रीब्यूटरी स्तर और प्रोजेक्ट स्तर सिंचाई जल उपयोगकर्ता संगठन की प्रबंध समितियां मौजूद नहीं हैं, वहां शक्तियां और कार्य जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी में निहित होंगे।

8.4 आईडब्ल्यूयूए की कार्य समिति के सदस्यों का इस्तीफा

a. तृतीयक या वितरिका स्तर की आईडब्ल्यूयूए की प्रबंध समिति का काई सदस्य किसी उच्च–स्तरीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

b. परियोजना स्तर के प्रबंध समिति के अध्यक्ष जेएसवी के सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए पत्र द्वारा अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

c. आईडब्ल्यूयूए की कार्यसमिति के किसी सदस्य का त्याग पत्र संबंधित आईडब्ल्यूयूए की कार्यसमिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

d. आईडब्ल्यूयूए के अध्यक्ष का इस्तीफा उनके निकटस्थ उच्च स्तर के आईडब्ल्यूयूए या जल शक्ति विभाग के सक्षम अधिकारी जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

8.5 अधिनियम का प्रभाव

पहले से मौजूद किसी भी अधिनियम के साथ काई भी विसंगति होने पर, पीआईएक के मामलों में एचपी–आईडब्ल्यूयूए पूरे राज्य में प्रभावी होगा।

* * * * *

निर्मित (द्वारा)

AMS
Research | Consulting | Training
Academy of Management Studies,
3rd Floor, Block A-153, Sector-8, Dwarka, New Delhi–110 075
Tel : 011 - 45622401; Fax : 011 - 45622402; E-mail : ams@amsindia.org
(Regd. Office : AMS, 15, Laxmanpuri, Faizabad Road, Lucknow-226 016)
www.amsindia.org